

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA


सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230335
SG-DL-E-11102021-230335असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 203
No. 290]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 203

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIसमाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2021

सं.फा. 10(271)/डीएसडब्ल्यू/प्रशा0 11/2019/1366.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 06/07/1966 को समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना 2 (25)/66 — नियु0(बी) के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “व्यावसायिक थैरेपिस्ट” के पद हेतु निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(i) इन नियमों को समाज कल्याण विभाग, (व्यावसायिक थैरेपिस्ट), भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि.—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव.—इन नियमों में के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	व्यावसायिक थैरेपिस्ट
2.	पदों की संख्या	:	02 (दो) (2021) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित ग्रुप "ख"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, रुपये (35400-112400)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	तीस वर्षों से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिलनीय है) 6(क) निर्णायक विवरण आयु-सीमा के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य:— (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यावसायिक थैरेपी में स्नातक की उपाधि। तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल अथवा संस्थान से व्यावसायिक थैरेपिस्ट के रूप में दो वर्षों का अनुभव। अथवा (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से विज्ञान-विशय सहित (भौतिक, रासायनिक एवं जीव-विज्ञान) में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यावसायिक थैरेपी में दो वर्षों का डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से व्यावसायिक थैरेपिस्ट के रूप में तीन वर्षों का अनुभव।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: लागू नहीं शैक्षिक योग्यता: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती टीपः — पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद को धारण किए हो। (ii) मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष वेतन मैट्रिक्स वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा सहित तथा (क) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो। टीपः प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन	:	लागू नहीं।
	किया जाना है		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	पदोन्नति : 1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. लागू नहीं 4. लागू नहीं सीधी भर्ती का स्थायीकरण— 1. सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 2. निदेशक (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 3. उप-निदेशक (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 4. लागू नहीं 5. लागू नहीं
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	पद को भरने हेतु आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ० रश्मि सिंह विशेष सचिव एवं निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 7th October, 2021

No. F.10(271)/DSW/Admn.II/2019/1366.—in exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959, and in supersession of the government of National Capital Territory of Delhi, Department of Social Welfare's Notification No. F.2(25)/66-Appts.(B) dated 06/07/1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules for the posts of Occupational Therapist in the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Social Welfare, (Occupational Therapist) Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**—the method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	(Name of the Post)	Occupational Therapist
2.	(Number of Posts)	02 (Two) (2021) *Subject to variation dependent on work load
3.	(Classification)	General Central Service, Non-Ministerial, Non Gazetted, Group-B
4.	(Level in the Pay Matrix)	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.
5.	Whether Selection Post/Non Selection Post	Not Applicable
6.	(Age Limit for Direct Recruits)	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for Government Servants up to Five years in accordance with the instructions or order issued by Central Government.) 6(a) Crucial Description The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission/ Delhi Subordinate Service Selection Board.
7.	(Educational & other qualification for direct recruits)	Essential: (a) (i) Bachelor Degree in Occupational Therapy from a recognized University/institute. and (ii) Two years experience as Occupational Therapist in a recognized hospital or institute

	OR (b)(i) 12th Class pass with science (Physics, Chemistry and Biology) from a recognized Board/Institute. (ii) Diploma of two years duration in a occupational therapy from a recognized University/Institute. (iii) Three years experience as occupational therapist in a recognized hospital/Institute. Qualification Standard Note Qualifications are relaxable at the discretion of the S.S.C./ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience Standard Note The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the S.S.C./Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the S.S.C./Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8. Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	AGE:NA Edu.Qual.:NA
9. Period of Probation if any	Two years
10. Method of Recruitment , whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of Central Government (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment threto on a regular basis in level five in the pay matrix equivalent in the parent cadre/ department and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. Note: The Maximum Age limit For Appointment By Deputation Shall Be Not Exceeding 56 Years. As on the Closing Date Of Receipt Of Application.
11. In case of recruitment by Prom/Dep./abs.grades from which prom/dep./abs to be made	Not Applicable
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition)	Promotion: 1.NA 2.NA 3.NA 4.NA

	Confirmation of DR 1.Secretary(SW), GNCTD 2.Director (SW), GNCTD 3. Dy.Director Admn(SW) GNCTD. 4.NA 5.NA
13. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with the Commission is not necessary for filling up the post.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
Dr. RASHMI SINGH, Spl. Secy.-cum-Director (Social Welfare)